यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वन अधिकारी चकराता (कालसी)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वन अधिकारी चकराता (कालसी)** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.09.2018 से 29.09.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.07.2018 से 09.08.2018 तक श्री के.एल. भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 06/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 06/2015 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **क्रियाकलाप- वन विभाग के समस्त कार्य**

   भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- रीवर, कनासर, बावर, देवधार, मोल्टा एवं रिखनाड वन क्षेत्र

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	550
2016-17	478
2017-18	696

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	-	-	24.84	24.84	60.97	60.97	-	-	-
2016-17	-	-	30.40	30.40	147.98	147.98	-	-	-
2017-18	-	-	34.05	34.05	133.24	133.24	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2018-19	इन्टेसिफिकेसन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	4.29	4.23	0.06

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वन अधिकारी चकराता (कालसी)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वन अधिकारी चकराता (कालसी)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो – इंटेन्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मनेजमेंट(4.23 लाख)

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 "क"</u>

<u>प्रस्तर- 1</u>: नियमानुसार एन॰पी॰वी॰ न लिये जाने से राजस्व क्षति ` 18.08 लाख।

अपर प्रमुख वन-संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन-विभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव निर्माण मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार वन भूमि के हस्तांतरण पर भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संबन्धित प्रभागीय वन-अधिकारी द्वारा सृजन की लागत, क्षतिपूर्ण वृक्षारोपण की धनराशि, एनपीवी की धनराशि, पाठ वृक्षारोपण की धनराशि, वन्य-जीव संरक्षण की धनराशि, कैट प्लान की धनराशि एवं अन्य मदों में व्यय धनराशि की मदवार सूचना बनाकर प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर-वानिकी प्रयोजन के लिये वन-भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु एन॰पी॰वी॰ (Net Present Value) के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश निम्नवत हैं:

(` in Lakh)

Eco- Value	Class and NPV rates/hectare					
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**	**Class VI**
1. Very dense forest	10.43	10.43	8.87	6.26	9.39	9.91
2. Dense Forest	9.39	9.39	8.03	5.63	8.45	8.97
3. Open Forest	7.3	7.3	6.26	4.38	6.57	6.99

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वन-भूमि हस्तांतरण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित दो मार्गो के निर्माण हेतु वन-भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित की गयी थी। परन्तु, भूमि का एनपीवी प्रचलित दर से न लेकर कम दर से लिया गया था। विवरण निम्नवत है:

(₹ लाख में)

प्रयोक्ता	**प्रायोजन (कार्य/सड़क का नाम)**	**वन-भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)**	**ईको वैल्यू**	**क्लास**	**देय NPV**	वसूल किया गया **NPV**	**अन्तर**
PWD PMGSY	पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत त्यूनी-आराकोट-शिमला मोटर मार्ग के किमी 10 से वानपुर	3.3495	डेन्स फॉरेस्ट	VI	3.3495X8.97= 30.04 Class VI	3.3495X6.57= 22.01	8.03
PWD PMGSY	पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत सिलखुण्ड कुनैन मोटर मार्ग के किमी 05 से सेंज	5.3478	डेन्स फॉरेस्ट	V	5.3478X8.45= 45.19 Class V	5.3478X6.57= 35.14	10.05
				योग			**18.08**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्धारित एनपीवी से कम दर से एनपीवी वसूले जाने से विभाग को ₹ 18.08 लाख राजस्व के रूप में कम प्राप्ति हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा त्यूनी आराकोट - शिमला मोटर मार्ग के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि उपरोक्त वन-भूमि का एनपीवी ₹ 897000/- प्रति हे॰ के स्थान पर ₹ 657000/- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के आदेश संख्या 3791 दिनाँक 27.06.2015 के द्वारा वसूल किया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि त्यूनी-आराकोट-शिमला मोटर मार्ग के हस्तांतरण प्रस्ताव में उप-वन संरक्षक टोंस वन प्रभाग, पुरोला द्वारा एनपीवी धनराशि हेतु दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार प्रस्तावित मार्ग टोंस वन-प्रभाग कोटि गाड़ रेंज के अन्तर्गत वानपुर कक्ष संख्या दो मे स्थित था तथा लो लेवल सब-ट्रोपिकल हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट के अन्तर्गत था एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाँक 28.03.2008 एवं दिनाँक 09.05.2008 के अनुसार ईको क्लास-VI (घनत्व 0.6) के अन्तर्गत था जिसका एनपीवी ₹ 897000/- प्रति हे॰ था।

इसके अतिरिक्त सिलखुण्ड कुनैन मोटर मार्ग के सम्बंध में एनपीवी कम दर से लिये जाने के सम्बंध में इकाई द्वारा कहा गया कि क्षेत्रीय समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनाँक 01.08.2017 को एनपीवी की धनराशि संशोधित की गयी थी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन-प्रभाग के एनपीवी धनराशि हेतु दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली भूमि ईको क्लास-V (घनत्व 0 से 0.2) के अन्तर्गत थी एवं जिसका एनपीवी ₹ 845000/- था।

अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों में एनपीवी की धनराशि ₹ 18.08 लाख कम वसूल किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 1: लीज रेन्ट न वसूल किया जाना ` 1.68 लाख।

शासनादेश संख्या: 6450/14-3-930/77 दिनाँक 02.07.1979 के क्रम में शासन के पत्र संख्या 156/7-1-2005-500(826)/2002 द्वारा वन-भूमि पर स्वीकृत लीजों के नवीनीकरण हेतु व्यवस्था की गयी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में लीजों से संबन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संलग्न विवरण अनुसार लेखापरीक्षा तिथि तक चकराता वन-प्रभाग के अन्तर्गत 40 लीज धारक थे । इन लीजधारकों को लीज की स्वीकृति कई वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी। संलग्न विवरण अनुसार वर्तमान तक इन लीजधारकों से ₹1,68,494/- लीज रेन्ट वसूल किया जाना था जिस पर नियमानुसार जमा किए जाने की तिथि तक ब्याज भी देय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि लीजों के नवीनीकरण हेतु रेंज अधिकारियों को लिखा गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन लीजों की वैधता 21 से 40 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी एवं न ही इकाई द्वारा लीजधारकों से लीज रेन्ट की वसूली की गयी थी।

अतः लीज रेन्ट न वसूले जाने एवं लीजों का नवीनीकरण न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चकराता वन प्रभाग के अंतर्गत लीज़ों का विवरण

क्रम सं.	राजि का नाम	लीजधारक का नाम व पता (सर्वश्री)	स्वीकृत लीज़ क्षेत्रफल (हे. में)	लीज़ का प्रायोजन	लीज़ की स्वीकृति अवधि		वार्षिक लीज़ रेन्ट	लीज़ रेन्ट/प्रतिकर जिस तिथि तक जमा है	अवधि जिसका लीज़ रेन्ट 2018 तक जमा नहीं किया गया (वर्ष में)	बकाया लीज़ रेन्ट (2018 तक)
1	रिखनाड़	सूरत सिंह पुत्र साहबू	0.00500	चाय की दुकान	02.04.1996	31.12.1996	250	1996	22	5500
2	देवघार	चंदराम पुत्र भवानी दत्त	0.00250	सिंचाई गूल	10.08.1978	31.12.1978	10	1978	40	400
3	देवघार	गुलाब सिंह पुत्र देवराम	0.00110	घराट	10.08.1978	31.12.1978	40	1978	40	1600
4	देवघार	राम सिंह पुत्र मनिया	0.00530	घराट	10.08.1978	31.12.1978	40	1978	40	1600
5	देवघार	शिवराम पुत्र कुमदास	0.01650	गूल	04.05.1972	31.12.1977	30	1997	21	630
6	देवघार	चंडी प्रसाद पुत्र कुलानन्द	0.00770	दुकान	28.06.1979	31.12.1979	250	1979	39	9750
7	देवघार	रोशनलाल पुत्र जगन्नाथ शारदा	0.01370	दुकान	28.06.1979	31.12.1979	500	1979	39	19500
8	कनासर	दयाल सिंह पुत्र रतन सिंह	0.00660	दुकान	23.03.1981	31.12.1981	60	1981	37	2220
9	कनासर	ओमप्रकाश पुत्र मोरीलाल	0.00060	नाई की दुकान	14.01.1982	31.12.1982	100	1982	36	3600
10	कनासर	ज्योतिनेगी पुत्र पदम सिंह नेगी	0.00700	चाय की दुकान	27.05.1982	31.12.1982	350	1982	36	12600
11	कनासर	महेशनन्द पुत्र रविदत्त	0.00920	चाय की दुकान	27.05.1982	31.12.1982	500	1982	36	18000
12	कनासर	आशीष जैन पुत्र कमलेश कुमार	0.00150	सब्जी की दुकान	27.05.1982	31.12.1982	485	1982	36	17460
13	कनासर	आबिद हसन पुत्र वालिद हसन	0.00200	डिस्पेन्सरी	27.05.1982	31.12.1982	200	1982	36	7200
14	कनासर	बचन सिंह पुत्र दौलत सिंह	0.00060	घराट	14.01.1982	31.12.1982	50	1982	36	1800
15	कनासर	लाल सिंह राणा पुत्र राम प्रसाद	0.00100	आवास	18.06.1982	31.12.1982	500	1982	36	18000
16	कनासर	कमलेश कुमार जैन	0.00500	गोदाम	03.03.1969	31.12.1985	64	1985	33	2112
17	कनासर	पंकज जैन पुत्र नरेंद्र जैन	0.00500	गोदाम	03.03.1969	31.12.1984	2	1984	34	68
18	कनासर	प्रेम सिंह पुत्र भोपाल सिंह रावत	0.00360	दुकान	11.05.1991	31.12.1991	1400	1991	27	37800
19	कनासर	मोहम्मद हुसैन पुत्र हुसैन अली	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
20	कनासर	मोहम्मद फजल	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60

		पुत्र सुल्तान अली								
21	कनासर	मोहम्मद अली पुत्र हैदर अली	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
22	कनासर	शेर अली पुत्र हुसैन अली	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
23	कनासर	अनवर अली पुत्र मुराद अली	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
24	कनासर	मुहम्मद अली पुत्र मुराद अली	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
25	कनासर	मुहम्मद अली पुत्र रुस्तम अली	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
26	कनासर	जुल्फ़ीकार अली पुत्र कलवी हसन	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
27	कनासर	ताहिर अली पुत्र मुराद अली	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
28	कनासर	सफदर अली पुत्र अब्दुल रहमान	0.01750	आवास	15.12.1970	31.12.1988	2	1988	30	60
29	कनासर	जे.एम.खान पुत्र हाजी मोहम्मद	0.01750	आवास	31.12.1988	01.01.1989	2	1989	29	58
30	रीवर	धन्नू पुत्र गोपी	0.0021	घराट	15.04.1981	31.12.1985	40	1985	33	1320
31	रीवर	नातिया पुत्र ललिया	0.00210	घराट	10.03.1983	31.12.1986	40	1986	32	1280
32	रीवर	खड़कू पुत्र ललिया	0.00120	घराट	15.04.1981	31.12.1985	40	1985	33	1320
33	रीवर	जालम सिंह	0.00790	सिचाई हौज	15.04.1981	31.12.1985	40	1985	33	1320
34	रीवर	संतराम पुत्र हरीराम	0.02610	गूल, हौज	22.02.1983	31.12.1986	25	1986	32	800
35	रीवर	ससिया पुत्र साजिया	0.00050	घराट	22.02.1983	31.12.1986	40	1986	32	1280
36	रीवर	मंशाराम पुत्र भागीरथ	0.01280	पीने का हौज	22.02.1983	31.12.1986	5	1986	32	160
37	रीवर	रूपराम पुत्र माधो	0.00190	पाइप लाइन	22.02.1983	31.12.1986	10	1986	32	320
38	रीवर	अकबर अली पुत्र हैदर अली	0.01750	आवास	15.04.1981	31.12.1985	2	1985	33	66
39	रीवर	जाफ़र अली पुत्र अकबर अली	0.01750	आवास	10.03.1983	31.12.1986	2	1986	32	64
40	रीवर	रजा अली पुत्र हैदर अली	0.01750	आवास	15.04.1981	31.12.1985	2	1985	33	66
	Total									**168494**

STAN

<u>प्रस्तर-</u> 2 <u>:</u> जमानत राशि जमा न कराया जाना ` 1.59 लाख ।

वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या क2955/1-3 दिनाँक 05 मई 1997 द्वारा वन-विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जमानत दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी:

1. वन-क्षेत्राधिकारी/राजि अधिकारी 50,000/-
2. उप-राज़िक़ 50,000/-
3. आशुलिपिक/शिविर लिपिक वितरक 10,000/-
4. स्टोर कीपर/कनिष्ठ लिपिक 10,000/-
5. कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक 10,000/-

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में जमानत पंजिका की जाँच किए जाने पर पाया गया कि निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जमानत राशि वर्तमान तक कार्यालय में जमा नहीं कराई गयी थी:

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	पदनाम	जमानत राशि (रु में)	जमा धनराशि (रु में)	अवशेष राशि (रु में)
1	वीरेंद्र दत्त सकलानी	वन क्षेत्राधिकारी	50000	30000	20000
2	जवाहर सिंह तोमर	वन क्षेत्राधिकारी	50000	0	50000
3	स्वरूप सिंह नेगी	वन दारोगा	10000	5000	5000
4	प्यार दास	वन दारोगा	10000	5000	5000
5	कुमिया	वन दारोगा	10000	4000	6000
6	राम प्रकाश पालीवाल	वन दारोगा	10000	4000	6000
7	त्रिलोचन प्रसाद कोठारी	वन दारोगा	10000	4000	6000
8	जयपाल सिंह	वन दारोगा	10000	0	10000
9	प्रमोद कुमार	वन दारोगा	10000	0	10000
10	गंगदास	वन दारोगा	10000	0	10000
11	लीलाधर प्रसाद भट्ट	वन दारोगा	10000	6000	4000
12	सुमेर चन्द्र राठोर	वन दारोगा	10000	0	10000
13	अशोक कुमार	वन दारोगा	10000	4000	6000
14	वीर सिंह नेगी	वन बीट अधिकारी	4000	0	4000
15	बलदेव सिंह सजवाण	वन बीट अधिकारी	4000	0	4000
16	सूरत सिंह नेगी	चौकीदार	3000	500	2500
17	नरेन्द्र रावत	चौकीदार	500	200	300
	योग				**1,58,800**

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि जमानत जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 "ख"

प्रस्तर-1 : लम्बित भुगतान ` 44.67 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा प्रख्यापित मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त तक 606 प्रकरण लम्बित थे। आगे जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 (08/2018 तक) में 136 प्रकरण और प्रकाश मे आए। परन्तु, इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (09/2018) तक केवल 199 प्रकरणो का ही निस्तारण किया गया था एवं 543 प्रकरण निस्तारित किए जाने शेष थे जिनके सापेक्ष ` 44.67 लाख का भुगतान लम्बित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि शासन द्वारा ` **20.00** लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति न होने तथा माँग के अनुसार बजट प्राप्त न होने के कारण प्रकरण लम्बित हैं।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ख"

प्रस्तर- 2: निष्फल व्यय ` 15.74 लाख ।

वृक्षारोपण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उचित लम्बाई मोटाई एवं आयु की पौध तैयार करने के लिए पौध को सही मौसम मे रोपित किया जाना चाहिये। विभाग द्वारा अपनाये जा रहे मानकों के अनुसार पौध को अधिकतम 03 वर्षों तक ही पौधशाला मे रखा जाता है। और या अवधि समाप्त होने से पहले ही पौध रोपित कर दिया जाना चाहिये ताकि पौध पौधशाला मे ही जड़ न पकड़ सके क्योंकि जड़ पकड़ लेने के पश्चात उनको वृक्षारोपण स्थल तक ले जाते समय जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे वृक्षारोपण के पश्चात उनके जीवित रहने की प्रायिकता न्यून हो जाती है।

कार्यालय वन-संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्थायी आदेश संशोधन संख्या 695/1-14(4) दिनाँक 03.08.2015 के अनुसार प्रति गड्ढा खोदने हेतु ` **7.40** व्यय होता है एवं इसी आदेश के अनुसार पौध को रोपित करने के लिए पौध तैयार करने मे 03 वर्षों मे ` **9.61** का व्यय होता है। इसके अतिरिक्त पौध तैयार करने हेतु अधिकतम तीन वर्ष का समय लगता है। तीन वर्षों के उपरान्त पौध के संरक्षण हेतु कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वृक्षारोपण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

(i) अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तीन वर्षों के दौरान, तीन वर्ष या उससे अधिक आयु की पौध की संख्या 8,75,526 थी। उक्त पौध में से वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कुल 7,15,630 पौध रोपित की गयी थी। इस प्रकार 03 वर्ष से अधिक आयु के 1,59,896 (8,75,526 - 7,15,630) पौधे रोपित नहीं किए गए थे। इस प्रकार इन पौधों को तैयार करने में तीन वर्षों मे किया गया व्यय ` **15,36,601/- (1,59.896 * 9.61)** निष्फल रहा।

(ii) अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चरागाह विकास के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य कर 55,000 गड्ढे खोदे गये। परन्तु, जाँच में पाया गया कि खोदे गये गड्ढों के सापेक्ष इकाई द्वारा मात्र 50,000 पौधे ही रोपित किए गये थे। इस प्रकार 5000 पौधों हेतु अग्रिम मृदा कार्य (गड्ढों) पर किया गया व्यय ` 37,000/- (5000*7.40) निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि की गयी।

अतः निष्फल व्यय ` 15,73,601/- (15,36,601+37,000) का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 "ख"</u>

<u>प्रस्तर-3</u>: अग्रिम मृदा कार्य किये बिना पौधरोपण पर अधोमानक व्यय ` 7.97 लाख ।

वृक्षारोपण संहिता, वन-विभाग, उत्तर प्रदेश द्वितीय पुनरीक्षण जून 2016 के बिन्दु 2.2.20 (वृक्षारोपण कार्य का समय) के अनुसार वृक्षारोपण कार्य की सफलता के लिए समय से अग्रिम मृदा कार्य किया जाना अति महत्वपूर्ण होता है।

कार्यालय वन-संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्थायी आदेश संशोधन संख्या 695/1-14(4) दिनाँक 03.08.2015 के अनुसार रोपण हेतु पौध तैयार करने में तीन वर्षों में ` **9.61** का व्यय होता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वृक्षारोपण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य कर 50,256 गड्ढों को तैयार किया गया था एवं वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य नहीं किया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 50,256 गड्ढों के सापेक्ष 68,224 पौधे रोपित किए गये थे एवं वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत बिना अग्रिम मृदा कार्य किये ही 65000 पौधों का रोपण कर दिया गया था। इस प्रकार कुल 82,968 (17968+65000) पौधों का रोपण बिना अग्रिम मृदा कार्य किये जाने से ` **7,97,322/- (82,968*9.61)** का अधोमानक पौधरोपण का कार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि बिना अग्रिम मृदा कार्य किये पौधरोपण नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 ब

प्रस्तर- 4 कार्य योजना समय से अनुमोदित न कराये जाने के कारण राजस्व क्षति।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग का Working Plan (अवधि 2007-08 से 2016-17 तक) दिनांक 30.09.2017 को समाप्त हो गया था। प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रभाग का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु Working Scheme 2018-19 तैयार कर दिनांक 28.08.2017 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी जिसकी स्वीकृती लेखापरीक्षा तिथि (sep 18) तक प्रभाग को प्राप्त नहीं हुई थी। प्रभाग में कार्ययोजना न होने के कारण वृक्षों के पातन, लीसा उत्पादन आदि से संबन्धित कार्य अवरूद्ध था जिससे कि राजस्व की क्षाति हो रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्लांटेशन एवं लीसा उत्पादन व नियमित छपान न होने से राजस्व का नुकसान हो रहा है।

चूंकि Working Plan (अवधि 2017-18 से 2026-27 तक) समय से न बनाए जाने एवं Working Scheme 2018-19 का अनुमोदन न होने से राजस्व की क्षाति हो रही है तथा प्लांटेशन का कार्य रुका हुआ है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
49/2015-16	-	01,02,03	
53/2017-18	01	01,02	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
			-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उप वन प्रभागीय वन अधिकारी चकराता (कालसी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

(1)राजस्व- संविदा पर लगाये गये श्रमिकों के मजदूरी का एवं EDF का विवरण।

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री दीप चन्द्र आर्य	DFO

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वन अधिकारी चकराता (कालसी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र